

क्रम संख्या-101

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 30 जून, 2003 ई0

आषाढ़ 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 250/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 30 जून, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2003 पर दिनांक 26 जून, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, सन् 2003 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2003

(अधिनियम सं0 13 वर्ष 2003)

31 मार्च, 2004 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तरांचल की
समेकित निधि में से
सन् 2003-2004 के
लिए 80905694000
रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो [अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 1, सन् 2003 की अनुसूची के स्तम्भ-7 से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके)] 80905694000 रुपये (आठ हजार नब्बे करोड़ छपन लाख चौरानवें हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची (धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3		
1. विधान सभा	राजस्व	58162	6056	64218
	पूँजी	0	0	0
2. राज्यपाल	राजस्व	0	17040	17040
	पूँजी	0	0	0
3. मंत्रि परिषद्	राजस्व	70351	0	70351
	पूँजी	0	0	0
4. न्याय प्रशासन	राजस्व	249759	32531	282290
	पूँजी	300000	0	300000
5. निर्वाचन	राजस्व	61423	0	61423
	पूँजी	0	0	0
6. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	1272038	6716	1278754
	पूँजी	110000	0	110000
7. वित्त, कर, नियोजन सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	7682577	8465659	16148236
	पूँजी	385502	15321634	15707136
8. आबकारी	राजस्व	39255	0	39255
	पूँजी	10000	0	10000
9. लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	30403	30403
	पूँजी	0	15000	15000
10. पुलिस एवं जेल	राजस्व	2734803	0	2734803
	पूँजी	444101	0	444101
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	11533198	0	11533198
	पूँजी	674862	0	674862
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2568125	0	2568125
	पूँजी	523699	0	523699

1	2	3		
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व पूँजी	3885867 115000	0 0
14.	सूचना	राजस्व पूँजी	94769 0	0 0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व पूँजी	1664211 278665	0 0
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व पूँजी	299253 0	0 0
17.	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व पूँजी	2303490 123162	3061 0
18.	सहकारिता	राजस्व पूँजी	108161 120050	0 0
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व पूँजी	3645814 311002	0 0
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व पूँजी	1510901 973304	0 0
21.	ऊर्जा	राजस्व पूँजी	2848622 1975005	500 0
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व पूँजी	1777065 1324603	12995 0
23.	उद्योग	राजस्व पूँजी	528373 557504	0 0
24.	परिवहन	राजस्व पूँजी	59631 340005	0 0
25.	खाद्य	राजस्व पूँजी	121254 103	0 0
26.	पर्यटन	राजस्व पूँजी	170514 281172	0 0
27.	वन	राजस्व पूँजी	2409423 26600	1320 0
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व पूँजी	408218 13173	10 0
	योग		56992769	23912925
				80905694

आज्ञा से,
भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Appropriation Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 13 of 2003):

No. 250/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, June 30, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 26 June, 2003.

THE UTTARANCHAL APPROPRIATION ACT, 2003
(Act no. 13 of 2003)

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirtyfirst day of March, 2004

AN

ACT

It is HEREBY enacted in the Fifty-Fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short Title

Issue of Rs.
80905694000
out of the
Consolidated
Fund of
Uttaranchal for
the year 2003-
2004

1. This Act may be called the Uttaranchal Appropriation Act, 2004.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttaranchal there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column 3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column 7 to 10 of the Schedule to the Uttaranchal Appropriation (Vote on Account) Act, 2003 (Uttaranchal Act no. 1 of 2003)] to the sums of Rs. 80905694000 (Eight thousand ninety crore fifty six lakh ninety four thousand Only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirtyfirst day of March, 2004 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttaranchal by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirtyfirst day of March, 2004.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

Grant/ Serial no.	Services and purpose		Sums not exceeding (In thousands of rupees)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	Total
1	2		3		
1.	Legislature	Revenue	58162	6056	64218
		Capital	0	0	0
2.	Governor	Revenue	0	17040	17040
		Capital	0	0	0
3.	Council of Ministers	Revenue	70351	0	70351
		Capital	0	0	0
4.	Judicial Administration	Revenue	249759	32531	282290
		Capital	300000	0	300000
5.	Election	Revenue	61423	0	61423
		Capital	0	0	0
6.	Revenue & General Administration	Revenue	1272038	6716	1278754
		Capital	110000	0	110000
7.	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellaneous Services	Revenue	7682577	8465659	16148236
		Capital	385502	15321634	15707136
8.	State Excise	Revenue	39255	0	39255
		Capital	10000	0	10000
9.	Public Service Commission	Revenue	0	30403	30403
		Capital	0	15000	15000
10.	Police & Jail	Revenue	2734803	0	2734803
		Capital	444101	0	444101
11.	Education, Sport & Youth welfare & Culture	Revenue	11533198	0	11533198
		Capital	674862	0	674862

12.	Medical & Family Welfare	Revenue	2568125	0	2568125
		Capital	523699	0	523699
13.	Water supply, Housing & Urban Development	Revenue	3885867	0	3885867
		Capital	115000	0	115000
14.	Information	Revenue	94769	0	94769
		Capital	0	0	0
15.	Welfare	Revenue	1664211	0	1664211
		Capital	278665	0	278665
16.	Labour & Employment	Revenue	299253	0	299253
		Capital	0	0	0
17.	Agriculture works & Research	Revenue	2303490	3061	2306551
		Capital	123162	0	123162
18.	Co-operative	Revenue	108161	0	108161
		Capital	120050	0	120050
19.	Rural Development	Revenue	3645814	0	3645814
		Capital	311002	0	311002
20.	Irrigation & Flood	Revenue	1510901	0	1510901
		Capital	973304	0	973304
21.	Energy	Revenue	2848622	500	2849122
		Capital	1975005	0	1975005
22.	Public Works	Revenue	1777065	12995	1790060
		Capital	1324603	0	1324603
23.	Industries	Revenue	528373	0	528373
		Capital	557504	0	557504
24.	Transport	Revenue	59631	0	59631
		Capital	340005	0	340005
25.	Food	Revenue	121254	0	121254
		Capital	103	0	103
26.	Tourism	Revenue	170514	0	170514
		Capital	281172	0	281172
27.	Forest	Revenue	2409423	1320	2410743
		Capital	26600	0	26600
28.	Animal Husbandry	Revenue	408218	10	408228
		Capital	13173	0	13173
Total			56992769	23912925	80905694

By Order,
BHAROSI LAL,
Secretary.